न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/37/2019

मूर्ति मन्दिर श्री बल्देव जी महाराज विराजमान ग्राम सिकन्दरा तहसील बयाना जिला भरतपुर जरिये मिट्ठूलाल पुत्र श्री रामचन्द जाति माली निवासी ग्राम सिकन्दरा तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)

......प्रार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी महोदय, बयाना जिला भरतपुर

......असल प्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली बावत् प्रकरण संख्या–85/18 मु.दी. अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 उनवानी शंकर वगैराह बनाम मूर्ति मन्दिर, आगामी तारीख पेशी– 24.06.2019

उपस्थितिः–

1–सतेन्द्र कुमार ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 20.08.2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के विरूद्व शंकर वगैराह वादीगण ने एक वादपत्र संख्या–107/2012 उनवानी शंकर वगैराह बनाम मूर्ति मन्दिर श्री बल्देव जी अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एकट पेश किया है जिसमें आगामी पेशी 30.05.2019 नियत है। उकत वाद पत्र में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गता धारा 144 सी.पी.सी उनवानी शंकर बनाम मूर्ति मंदिर प्रकरण संख्या–85/18 है

जिसमें आगामी पेशी तारीख 24.06.2019 वास्ते बहस नियत है।विवादित आराजी को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 27.05.1997 से रिसीवर कायम किया हुआ है। प्रार्थी व उसका भतीजा रामभरोसी एस.डी.एम साहब के पास जमीन की बोली लगवाने के लिए मिले तो उन्होंने कहा कि 3–4 दिन रूक जाओ। इसके बाद प्रार्थी दिनांक 01.05.2019 को पुनः एस.डी.ओ साहब से मिले तो वहा पर पूर्व से ही वादी संख्या 5 बाबू पुत्र करन तथा उनके वकील साहब लक्ष्मन बैठे हुए मिले तो उनके सामने ही एस.डी.ओ साहब ने कहा कि इस आराजी में मूर्ति मन्दिर का कोई हित निहित नहीं है, तुम क्यों घूम रहे हो, बेकार समय व पैसे की बर्बादी मत करो । वादी संख्या 5 बाबू पुत्र करन तथा उनके वकील साहब बाहर प्रार्थी व उसके भतीजे को मिले तथा वादी संख्या 5 बाबू ने कहा कि अब भी नहीं समझ पाये कि साहब ने क्या कहा है और क्यों कहा है तथा अब मैं तुम्हें स्पष्ट बता देता हूं कि मेरी एस.डी.ओ साहब से सैटिंग हो गई हे और अब वो उक्त मुकदमे को हमारे पक्ष में फैसल करेंगे तथा प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0 को भी स्वीकार करेंगे। पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से दावा को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है, जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी,बयाना से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी,बयाना से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी वकील पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के मध्य एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 उपखण्ड अधिकारी,बयाना के न्यायालय में विचाराधीन है। यह प्रकरण मन्दिर से संबधित है। मन्दिर की जमीन को दीगर व्यक्ति हडपना चहाते हैं। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी, बयाना ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये आरोपों को मनगढन्त बेबुनियाद बताया है, तथा प्रकरण को किसी भी न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर उन्हें आपत्ति नहीं है अंकित किया है। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, बयाना के न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 उनवानी शंकर बनाम मूर्ति मन्दिर श्री बल्देव जी महाराज को उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। उभय पक्षकारान उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के न्यायालय में दिनांक 03.09.2019 को उपस्थित हों। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रूपवास एवं उपखण्ड अधिकारी, बयाना को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, बयाना को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर